"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 11263/डी. 218/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-09-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 24 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा. 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970).

धारा 2 का संशोधन. 3. (1) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"निःशक्त व्यक्ति" जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त है.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(तीन) विधवा या विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) या ऐसी महिला, जिसने क्रूरता भोगी हो, जो स्थानीय क्षेत्र में निवास संबंधी ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों जैसा कि विहित किया जाये ;"

"(चार) नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चे."

(3) धारा 2 के उप-खण्ड (क-एक) (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के सदस्य."

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क-एक) के स्पष्टीकरण में शब्द "पति पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चे" के स्थान पर शब्द "पति, पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे तथा अविवाहित पुत्री" प्रतिस्थापित किया जाये.

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"ग्राम पंचायत के मामले में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)."

(6) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत" के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत" प्रतिस्थापित किया जाये.

(7) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित (ज) तथा (झ) खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ज) "राज्य निराश्रित निधि" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित निधि.

(झ) "क्रूरता" से अभिप्रेत है—

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या

(ख) महिलाओं का उत्पीड़न-उसको या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई विधि विरुद्ध मांग पूरी करने के लिए या इस कारण से कि वह या उनसे संबंधित कोई व्यक्ति ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है, उत्पीड़ित करना."

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "यथा योग्य व्यवस्था करे" के स्थान पर, शब्द "योजना का क्रियान्वयन तथा समुचित सहायता उपलब्ध कराना" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 3 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (घ) में शब्द "उधार" के स्थान पर शब्द "सहायता" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) धारा 3 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एक) निराश्रित व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का दाह-संस्कार ;

(दो) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लाभ के लिये विशेष योजना."

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :— **धारा 4 का संशोधन.**

"(2-क) कलेक्टर, मण्डी समिति द्वारा किये गये संग्रहण की रकम का बीस प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि में प्रभाजन और निक्षेप करेगा तथा ऐसी निधि में संग्रहित रकम किसी जिले के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जायेगी, जैसी कि विहित की जाए तथा आयुक्त/संचालक पंचायत एवं समाज सेवा छत्तीसगढ़ ऐसी निधि का प्रवर्तन और उचित लेखा संधारण करेगा और ऐसी निधि का लेखा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा अंकेक्षित किया जायेगा.

(2-क क) राज्य निराश्रित निधि का समस्त धन, किसी सहकारी बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में या डाकघर बचत बैंक में निक्षेपित किया जायेगा.

(2-क ख) उप-धारा (2) और (2-क) के अधीन प्रभाजन के पश्चात् शेष रकम संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण के प्रयोजन के लिये उपयोजित की जायेगी:

परन्तु राज्य सरकार, किन्हीं अन्य क्षेत्रों में ऐसे आश्रमों की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए, संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के बाहर ऐसे अन्य क्षेत्रों में निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण हेतु शेष रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम को उपयोजित करने का आदेश दे सकेगी."

धारा 7 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द "या आदिवासी पंचायत" का लोप किया जाये.

धारा 9 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में :—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क-1) वह रीति, जिसमें धारा 4 की उपधारा (2-क) के अधीन किसी जिले में राज्य निराश्रित निधि उपयोजित की जायेगी ;"

(दो) मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग-1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ग-1) वे शर्तें और निबन्धन जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 3 के अधीन सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी."

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 11263/डी. 218/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2010)

THE CHHATTISGARH NIRASHRITON AVAM NIRDHAN VYAKTIYON KI SAHAYATA (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :— **Definition.**
"Principal Act" means the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970).

3. (1) For sub-clause (ii) of clause (a) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 2.**
"Person with disability" suffering from not less than forty percent of any disability as certified by a medical authority.

(2) After sub-clause (ii) of clause (a) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be inserted, namely :—
"(iii) a widow or a divorcee or a woman subjected to cruelty fulfilling such requirements including that of residence in a local area as may be prescribed;

(iv) Children affected by naxal violence."

(3) For sub-clause (a-i) (ii) of Section 2, the following sub-clause shall be substituted, namely :—
"members belonging to family of below poverty line as notified by the State Government from time to time."

(4) In explanation of clause (a-i) of Section 2 of the Principal Act, for the words "husband, wife and their minor children," the words "husband, wife, their minor children and unmarried daughter" shall be substituted.

(5) For sub-clause (iii) of clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely :—
"in the case of a Gram Panchayat, the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)".

(6) In clause (d) of Section 2 of the Principal Act, for the words "notified area committee or gram panchayat or adivasi panchayat" the words "notified area committee or gram panchayat" shall be substituted.

(7) After clause (g) of Section 2 of the Principal Act, the following (h) and (i) clauses shall be added, namely :—
"(h) "State Destitute Fund" means the Fund constituted under section 4.

(i) "Cruelty" means—
(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman, or

(b) harassment of woman-where such harassment is with a view to coercing her or any person related her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand."

4. (1) In section 3 of the Principal Act, for the words "make adequate provision" the words "implement scheme and to provide adequate relief" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

(2) In clause (d) of Section 3 of the Principal Act, for the word "loan" the word "assistance" shall be substituted.

(3) For sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of Section 3, the following shall be substituted, namely :—

"(i) cremation of an indigent person or any member of his family;

(ii) special schemes for the benefit of girls belonging to families of below poverty line as notified by the State Government from time to time."

Amendment of Section 4.

5. For sub-section (2-A) of Section 4 of the Principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(2-A) The Collector shall apportion and deposit twenty percent of the amount of collection made by a market committee, into the State Destitute Fund, and the amount collected in such fund shall be utilised for any district in such manner as may be prescribed, and the Commissioner/Director, Panchayat and Social Welfare Chhattisgarh shall operate and maintain proper account of such fund, and the account of such fund shall be audited by the Director, Local Fund Audit, Chhattisgarh.

(2-AA) All moneys of the State Destitute Fund shall be deposited in a co-operative bank or any Bank specified in the first Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), as a corresponding new bank or in post office saving bank.

(2-AB) The amount remaining after apportionment under sub-section (2) and (2-A) shall be utilised for the purpose of setting up and maintaining homes for destitutes and indigent persons in the area falling within the jurisdiction of the market committee concerned:

Provided that the State Government may, having regard to the need of such homes in any other areas, order the utilisation of not exceeding ten percent of the remaining amount for setting up and maintaining homes for destitutes and indigent persons in such other area outside the jurisdiction of the market committee concerned".

Amendment of Section 7.

6. In the first proviso to sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, the words "or adivasi panchayat" shall be omitted.

Amendment of Section 9.

7. In sub-section (2) of Section 9 of the Principal Act :—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

"(a-1) the manner in which the State Destitute Fund shall be utilised in any district under sub-section (2-A) of Section 4;"

(ii) for clause (c-1) of Section 9 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

"(c-1) terms and conditions subject to which relief may be provided under Section 3."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.